:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल

मूकदमा नम्बर:–33/20 राजस्व वाद

भेमजी पिता कचरा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपूर

–वादी

बनाम

1 श्री देवचन्द पुत्र कचरा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
2 श्री दुष्यन्त पुत्र लालुराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
3 श्री रोहित पुत्र लालुराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
4 श्रीमती लक्ष्मी पत्नी लालुराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
5 श्री वालचन्द पुत्र कचरा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
6 जीवा पुत्र सोमा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
7 मंगला पुत्र सोमा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
8 रामा पुत्र सोमा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
9 लक्ष्मण पुत्र सोमा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
10 लालजी पुत्र सोमा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
11 हकरा पुत्र सोमा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
12 हुरमा पुत्र सोमा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर।
13 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झौथरी पाल डूँगरपूर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् बटवारा किए जाने।

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी

:: निर्णय :: दिनांक 07.05.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर मे स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है ग्राम चारवाडा मे स्थित भूमि का जमाबन्दी संवत 2074–77 अनुसार खाता सख्या 54 के खसरा संख्या 524, 529, 536, 592, कुल खसरा किता 4 का कुल रकबा 0.5580 हैक्टेयर भूमि है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। यह कि खाता संख्या 54 में वादी प्रतिवादी सख्या 1 से 5 का 1/2 हिस्सा, शेष सभी प्रतिवादीगण में से प्रत्येक का 1/14 हिस्सा, है जो दर्ज रिकार्ड है। यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वादी के पिता के जीवन काल से ही आपसी बंटवारा हो चुका है उसी के अनुसार मौके पर काबीज होकर काश्त करते आ रह है किन्तु वादी के माता–पिता के जीवन काल में माता–पिता के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रख कर आमलीवाली दरी पाटी के उपर वाला बटका, पाडेला वाला खेत माता पिता को दिया गया था, जिसके संबंध में दिनांक 07/05/2007 को लीखावट भी की गई है, किन्तु अभी माता–पिता के हक हिस्से में आए खेतो पर वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त रूप से काबीज होकर काश्त करते आ रहे है तथा माता–पिता के हक हिस्से में आए खेतों में फसल बोने की बात को लेकर वादी एवं प्रतिवादी में सहमति नहीं बन रही है तथा वादी जिस फसल की खेती करना चाहता है, वह प्रतिवादी नहीं चाहते हैं तथा बंटवारा कर अलग–अलग खाते कायम कराने की बात करने पर भी प्रतिवादी बंटवारा कराने तहसील कार्यालय मे नहीं आ रहे है। ऐसे में वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है तथा बंटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किए जाने आवश्यक है। यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य फसलों की बूवाई को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा है तथा वादी जिस फसल को बोना चाहता है, उससे प्रतिवादीगण इंकार करते है, जिस कारण फसलो की बूवाई को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसी परिस्थति में स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवाडा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का बंटवारा हो जाने से तथा अलग–अलग खाते कायम हो जाने से वादी–प्रतिवादी अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग व काश्त कर सकेंगें। ऐसी परिस्थति में वादी का वादग्रस्त भूमि में से हिस्सा अलग किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे ताकि वादी अपनी इच्छानुसार काश्त कर उपज प्राप्त कर सके। यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि वह वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व किसी प्रकार का विक्रय हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति संस्थान को न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे। भूमि की किस्म परिवर्तन न करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे। वाद ग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे। वादी के काश्त कार्य मे रूकावट पेदा न करें तथा दौराने वाद, प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से को बेचा जाता है या किस्म परिवर्तन कराई जाति है तो विक्रय किये जाने वाले रकबे या आबादी परिवर्तन किये जाने वाले रकबे को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम किया जाकर उस अनुरूप बटवाडा किया जावें। यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य फसलों की बुवाई को लेकर विवाद हो जाने से माता–पिता के हिस्से में आए खेत पर संयुक्त काश्त करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वादग्रस्त भूमि, जिसका वर्णन वाद के कॉलम सं दो मे किया है के बटवारा बाबत डिक्री पारित की जानी आवश्यक है ताकि बटवारा हो जाने से वादी व प्रतिवादीगण अपनी इच्छानुसार काश्त कर उपज प्राप्त कर सकें। यह कि वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वाद के कालम सं 2 मे किया है ग्राम चारवाडा मे स्थित भूमि का जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता सख्या 54 के खसरा सख्या 524, 529, 536, 592, कुल खसरा किता 4 का कुल रकबा 0.5580 हैक्टेयर भूमि का दिनांक 07/05/2007 की लीखावट के अनुसार तथा माता–पिता के हक हिस्से वाले खेतो का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी किस्म एवं लोकेशन एवं बुरी से बुरी किस्म एवं लाकेशन के आधार पर बटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किए जाने आवश्यक है। यह कि पूर्व में प्रतिवादीगण बंटवारा करने सहमत थे, लेकिन अब बंटवारा कराने सें इंकार कर रहे हैं। इस कारण तथा वादी व प्रतिवादीगण अपनी इच्छानुसार फसल प्राप्त कर सके इस हेतू वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

कारण गत 15 दिवस से प्रतिवादीगण द्वारा बटवाडा से इंकार किये जाने से लगातार पैदा हो रहा है ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया वादी के स्वीकार किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव तलब करने आदेश पारित किया गया। वादग्रस्त भूमि चारवाडा में स्थित भूमि का जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता सख्या 54 के खसरा सख्या 524, 529, 536, 592, कुल खसरा किता 4 का कुल रकबा 0.5580 हैक्टेयर भूमि का बटवारा कर अलग–अलग खाते कायम करने तहसीलदार तहसील झौथरीपाल को आदेशित किया जाता है वे बटवारा रिकम न्यायालय में पेश करे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व किसी प्रकार का विक्रय हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति संस्थान को न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे भूमि की किस्म परिवर्तन न करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वाद ग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वादी के काश्त कार्य मे रूकावट पेदा न करें तथा दोराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से को बेचा जाता हे या किस्म परिवर्तन कराई जाति है तो विक्रय किये जाने वाले रकबे या आबादी परिवर्तन किये जाने वाले रकबे को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम किया जाकर उस अनूरूप बटवाडा किया जावें।

तहसीलदार तहसील झौथरीपाल से विभाजन प्रस्ताव तलब करने, तहरीर जारी की गई। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया। अवलोकन किया गया।

अतः ग्राम चारवाडा मे स्थित भूमि का जमाबन्दी संवत 2074–77अनूसार के खाता सख्या 54 के खसरा सख्या 524, 529, 536, 592, कुल खसरा किता 4 का कुल रकबा 0.5580 हैक्टेयर भूमि **का बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम करने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल द्वारा प्रेषित सम्पूर्ण विभाजन प्रस्ताव मय नक्षा देस इस निर्णय एव डिकरी का भाग है, विभाजन प्रस्ताव में अंकित आराजी एवं रकबा एवं नक्षे में प्रदर्शित भूमि के अनुसार बटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किए जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी जो वादी को बटवारे में मिली है में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल को आदेश दिया जाता है कि वादी को बटवारे में मिल भूमि वादी की उपस्थिती में मौके पर लाईनीग कर दी जावे। आदेशानुसार बटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किए जावे। मौके पर की गई लाईनिंग के फोटोग्राफ एवं आदेश की पालना रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।**

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आदेश आज दिनांक ...../...../2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

बटवारे के वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री राकेश कुमार न्योल

श्री भेमजी **बनाम** श्री देवचन्द आदि

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधज्ञा

प्रकरण सख्याः– 33/20

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल उप. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आज दिनांक ...../0...../2021 को पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्यौल के समक्ष बटवारे हेतु अन्तीम डिकरी के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है वादी का वाद स्वीकार कर डिकी दी जाती है कि ग्राम चारवाडा मे स्थित भूमि का जमाबन्दी संवत 2074–77अनूसार के खाता सख्या 54 के खसरा सख्या 524, 529, 536, 592, कुल खसरा किता 4 का कुल रकबा 0.5580 हैक्टेयर भूमि का **बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम करने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल द्वारा प्रेषित सम्पूर्ण विभाजन प्रस्ताव मय नक्षा द्वेस इस निर्णय एव डिकरी का भाग है, विभाजन प्रस्ताव में अंकित आराजी एवं रकबा एवं नक्षे में प्रदर्शित भूमि के अनुसार बटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किए जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी जो वादी को बटवारे में मिली है में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल को आदेश दिया जाता है कि वादी को बटवारे में मिल भूमि वादी की उपस्थिती में मौके पर लाईनीग कर दी जावे। आदेशानुसार बटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किए जावे। मौके पर की गई लाईनिंग के फोटोग्राफ एवं आदेश की पालना रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।**

आज दिनाक ...../...../2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा